भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1353

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सकों और स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों की कमी

1353. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के सरकारी और जिला अस्पतालों में चिकित्सकों के साथ-साथ चिकित्सा उपकरणों की भारी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी यही स्थिति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने चंदौली जिले के सभी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा उपकरणों और योग्य चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि चंदौली जिला बिहार सीमा से सटा हुआ है और यहां अभिघात केन्द्र के अभाव में दुर्घटनाओं या घटनाओं के मामले में अक्सर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का चंदौली जिले में अभिघात केन्द्र स्थापित करने का विचार है;
(च) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और
(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (छ): उत्तर प्रदेश सहित, पूरे देश में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में डॉक्टरों से संबंधित विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructur e%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सा उपकरणों और सुयोग्य डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित संघ राज्य क्षेत्र/राज्यकरने सहित, जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वित योजनाओं के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार (पीआईपी) पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख के रूप में प्रस्तावों का (आरओपी) अनुमोदन करती है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए दी गई स्वीकृतियों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर यीआरएल के तहत उपलब्ध है:
www.nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=49&lid=62

एनएचएम के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश सहित देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को प्रक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा कर्मचारियों की कमी को दूर करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- विशेषज्ञ चिकित्सकों को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने के लिए और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए दूर्गम क्षेत्र भत्ता ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सेवा करने के लिए आकर्षित हों।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों/प्रशिक्षित, आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी), बाल प्रशिक्षित (एलएसएएस) रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- चिकित्सकों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसवपूर्व जांच, जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए (एएनसी) सहायक नर्स और दाई (एएनएम)के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलापों के संचालन के लिए प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत के माध्यम से वेतन की पेशकश करने जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है। यू कोट, वी पे की भी अनुमति है, जिसमें
- एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों मौद्रिक प्रोत्साहन में वरियता प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहुकौशल का समर्थन- किया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एनआरएचएम के तहत एक और प्रमुख कार्यनिति है।

- **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटक (सीएस) शामिल हैं, और इस पर योजना अवधि (2021-22 से 2025-26 तक) के लिए 64,180 करोड़ रुपये का व्यय होगा। पीएम- एबीएचआईएम के तहत किए गए उपाय, वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने हेतु, प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट- सभी स्तरों पर देखभाल की पूरी श्रृंखला में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित हैं।

पीएम- एबीएचआईएम के तहत, चंदौली जिले को एक (01) एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए पाँच वर्षों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-2026 तक) के लिए सहायता प्रदान की गई है।

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एनएचएम के तहत 16.8 करोड़ रुपये की लागत से एल2 स्तर के ट्रॉमा सेंटर को मंजूरी प्रदान की गई है।

*****